संख्या:25/2015/105 बीपी/35-1-2015

प्रेषक,

जे.बी.सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक 03 जून, 2015

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में पशुधन विभाग की परियोजनाओं हेतु धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-35बीपी(1)/35-1-2014 दिनांक 04 मार्च, 2014 के माध्यम से बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन पशुधन विभाग की बकरी इकाइयों की स्थापना परियोजना को रू. 8.33 करोड़ (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू. 7.50 करोड़ तथा लाभार्थी अंश रू. 0.83 करोड़) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित एसीए लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 0.35 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 0.25 करोड़ की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या 298बीपी/35-1-2014 दिनांक 26 नवम्बर, 2014 द्वारा परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 1.94 करोड़ अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू.1.76 करोड़ का व्यय किया गया तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। इस प्रकार वर्ष 2014-15 तक परियोजनान्तर्गत कुल मिलाकर रू. 2.01 करोड़ धनराशि व्यय हुई है। वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय बजट में बुन्देलखण्ड पैकेज को केन्द्रीय सहायता से डी-लिंक कर दिये जाने के फलस्वरूप मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित संयुक्त कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु विभागीय मॉग के अनुरूप वर्ष 2015-16 में रू. 0.28 करोड़ उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ है। एतद् द्वारा परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु वर्ष 2015-16 में रू. 0.28 करोड़ (रूपये अट्ठाइस लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।
2- कार्यों को मानको के अनुरूप गुणवत्ता के साथ अवमुक्त धनराशि में ही पूर्ण किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
3- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 03 माह में अर्थात 30 जून 2016 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को भेजी जायेगी।

2- प्रश्नगत परियोजनाओं पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट के अनुदान संख्या 40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम - आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय -04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-10- बकरी इकाइयों की स्थापना-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे.बी. सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 25 /2015/105 बीपी (1)/35-1-2015, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4-प्रमुख सचिव पशुधन विभाग ।
5-निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
6-मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूट धाम।
7-जिलाधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
8-मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9- कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।